



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 15-10-2024

थाना बडौत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 06 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं SOG बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 06 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी गुराना रोड कस्बा बडौत थाना बडौत बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 06 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- प्रभारी SOG श्री जितेन्द्र सिंह मय टीम जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 यू0टी0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का0 989 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 763/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 683/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 795/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर, 10 प्लास्टिक के पाइप, 01 तराजू, 03 बाट, 01 गैस का चूल्हा, 05 सूट व 05 साड़ी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 09.09.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी हीरा पुत्र मंगत निवासी कोर्ट रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में उसके मकान का कुंदा काटकर उसके मकान से 02 सोलर इन्वर्टर, 15 मशीन पत्थर कटाने की, टंकी व तार फिटिंग के पाइप को चोरी कर लिये गये हैं । इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना



कोतवाली बागपत मु0अ0सं0 763/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 12.08.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शाहिद पुत्र भूरू निवासी एकता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि

अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में वादी के कमरे का ताला तोडकर कमरे के अन्दर से ठेले पर रखे सूट , साड़ी आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत मु0अ0सं0 683/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

3-दिनांक 20-09-2024 को थाना कोतवाली बागपत पर अवधेश पुत्र वेदप्रकाश निवासी मौहल्ला मुगलपुरा करबा बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी दुकान का ताला तोडकर पाँच हजार रुपये, सिलैण्डर, तराजू – बाट, कढाई-चूलहा 01 रिफाइण्ड का कनस्तर, आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 795/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 763/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 683/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 795/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर, 10 प्लास्टिक के पाइप, 01 तराजू, 03 बाट, 01 गैस का चूलहा, 05 सूट व 05 साड़ी बरामद हुई हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम कासमाबाद दुड़भा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 इन्वर्टर व 10 प्लास्टिक के पाइप (सम्बन्धित मु0अ0सं0 763/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस)

- 01 तराजू, 03 बाट (1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम) व 01 गैस का चूल्हा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 795/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस)
- 05 सूट व 05 साड़ी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 683/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द कर्णवाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0841/2024 धारा
105/62/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.10.24 को थाना कोतवाली बागपत पर डिप्टी CMO जनपद बागपत द्वारा तहरीर दी कि जिला अस्पताल में कार्य करने वाले 02 संविदाकर्मी 1.जब्बार खान पुत्र अहसान अली निवासी चमरावल रोड़ कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 2-मुशीर अहमद पुत्र स्व0 बिलाल निवासी शौकत मार्केट कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने षडयंत्र करके टीबी मरीज की बलगम व अन्य रसायन पदार्थ खाने में मिलाकर उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0841/2024 धारा 105/62/61(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 0841/2024 धारा 105/62/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जब्बार खान पुत्र अहसान अली निवासी चमरावल रोड़ कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रभान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. है0का0 494 राहूल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. का0 293 अनुज चौधरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4. का0 853 रविगौतम कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 15.10.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 342/24 धारा 109/191(2)/126(2)/125 / 352 बीएनएस से 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 14.10.2024 को थाना खेकड़ा पर नरेश उर्फ बंटी पुत्र विरेन्द्र निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 13.10.24 को अभियुक्तों 1.साबिर पुत्र यामीन, 2.इरफान पुत्र आकिल, 3.शाहरुख पुत्र सौकीन, 4.आदिल पुत्र इमरान, 5.इरफान पुत्र इमरान, 6.शोयब पुत्र अशफाक निवासीगण शेखपुरा मौहल्ला कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर



कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर

वादी के चचेरे भाई गजेन्द्र पुत्र राजेश का रास्ता रोक कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 342/24 धारा 109/191(2)/126(2)/125 / 352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 342/24 धारा 109/191(2)/126(2)/125 / 352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आदिल पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 यूटी सनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 15.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

इकराम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बाम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 919 गजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 15.10.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

ब्रिजेश पुत्र जय सिंह निवासी करुबा बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 नीलकान्त थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 15.10.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132/352/324(4) बीएनएस व 7 सीएल ए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में वांछित 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20-09-2024 को थाना रमाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना रमाला क्षेत्र के ग्राम बूढपुर में ग्राम के कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ रखा है तथा उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसकी मोटर साइकिल को तोड़ फोड़ रहे हैं । सूचना पर थाना रमाला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा उस व्यक्ति



को बचाने का प्रयास किया गया तो मौके पर मौजूद अभियुक्त 1-ग्राम प्रधान सचिन पुत्र राजपाल, 2-आसिफ पुत्र गयूर, 3-अय्यूब पुत्र गयूर, 4-कय्युम पुत्र रशिद, 5-असगर पुत्र मेगा, 6-हकीमू पुत्र शेरदीन, 7-इरफान पुत्र हकीमू, 8-फारूख पुत्र महमूद, 9-मुन्ना पुत्र शरीफ, 10-शोएब पुत्र कय्युम 11-मोमिन पुत्र हमीद, 12-हमीद पुत्र मंगा 13-सागर पुत्र समीन व 02 महिलाओं निवासीगण ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत तथा 20-25 अज्ञात व्यक्ति पुलिस पार्टी पर हमलावर हो गये । पुलिस पार्टी द्वारा मौजूदा भीड को काफी समझाने प्रयास किया लेकिन नहीं माने तथा पुलिस पार्टी पर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से हमला करने लगे, जिसमें का0 चालक 19 सोनित कुमार व HG581 सुभाष घायल हो गये तथा सरकारी गाडी बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 261/24 धारा 191(2)/191(3)/190

/115(2)/109/121(1)/132/352/324(4) बीएनएस व धारा 7 सीएल ए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/24 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/121(1)/132/352 /324(4) बीएनएस व धारा 7 सीएल ए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में वांछित 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.सागर पुत्र यामीन निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.फारुख पुत्र महमूद निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.इरफान पुत्र हकीमू निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.कर्यूम पुत्र रशीद निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5.हमीद पुत्र मांगा निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6.असगर पुत्र मांगा निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7.अय्यूब पुत्र निजामू निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8.हकीमू पुत्र शेरदीन निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-प्र0नि0 श्री महेन्द्रपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 263 मौ0आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।